



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर
वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र (ए.डी.आर. सेन्टर) संयोगिता नगर, अजमेर
टेलीफोन नं.- 0145-2633356
email : legalaidajmer@gmail.com, la-ajm-rj@nic.in

कमांक:- २१०

दिनांक:- 11/3/2022

कार्यालय आदेश

श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर के निर्देशानुसार दिनांक 12.03.2022 (द्वितीय शनिवार) को राजस्व मण्डल, अजमेर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु निम्नानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत बैच का गठन किया जाता है:-

बैच संख्या.	लोक अदालत बैच अध्यक्ष एवं सदस्य का नाम व बैठक स्थान सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	लोक अदालत आयोजन का स्थान
01	अध्यक्ष- गणेश कुमार न्यायिक सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर सदस्य- 1-हरिशंकर गोयल-सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर सदस्य- 2 ओंकार लाल दवे अधिवक्ता(राजस्व मामलों के जानकार)	राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर
02	अध्यक्ष- अविनाश चौधरी न्यायिक सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर सदस्य- 1 सुरेन्द्र माहेश्वरी-सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर सदस्य- 2 जगदीश प्रसाद माथुर अधिवक्ता(राजस्व मामलों के जानकार)	राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर
03	अध्यक्ष- हरि सिंह यू आसनानी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश सदस्य- 1 रामनिवास जाट-सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर सदस्य- 2 चन्द्र प्रकाश शर्मा अधिवक्ता(राजस्व मामलों के जानकार)	राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर
04	अध्यक्ष- जगदीश सिंह सेवानिवृत्त अति.जिला एवं सेशन न्यायाधीश सदस्य- 1 श्रवण कुमार बुनकर सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर सदस्य- 2 जय कृष्ण पारीक अधिवक्ता(राजस्व मामलों के जानकार)	राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर

राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस पर बैचों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में पक्षकारण के मध्य प्री-काउंसलिंग हेतु निम्नलिखित अधिवक्तागण को काउंसलर्स नियुक्त किया जाना है।

- 1- श्रीमती ज्योति पारीक - अधिवक्ता
- 2- श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर - अधिवक्ता
- 3- श्री सतबीर सिंह सिंदू - अधिवक्ता

1- लोक अदालत का कार्य प्रातः 10:00 बजे आरंभ होगा जो प्रकरणों के निस्तारण या कार्यालय समय पूर्ण हो जो भी पहले तब तक ही जारी रहेगा।

2- श्रीमान सदस्य सचिव, रा.स.स. जयपुर के निर्देशानुसार बैच के लिए आवश्यकतानुसार एक स्टेनोग्राफर, एक कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाला कनिष्ठ लिपिक व एक सहायक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाना उचित होगा। आवश्यकता हो तो एक रीडर / अन्य कार्मिक की ड्यूटी लगाई जा सकती है।

नोट:- प्रथम चरण में निस्तारित प्रकरणों की सूचना 12 बजे व द्वितीय चरण की सूचना 3.30 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रेषित करे। द्वितीय चरण में प्रथम चरण की सूचना जोड़ कर प्रेषित की जावे।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अजमेर

क्रमांक:- 736 - 751

दिनांक:- 11/3/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. अति.निबन्धक एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्व मण्डल, अजमेर
2. श्री गणेश कुमार न्यायिक सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर
3. श्री अविनाश चौधरी न्यायिक सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर
4. श्री हरि सिंह यू आरनागी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश
5. श्री जगदीश सिंह सेवानिवृत्त अति. जिला एवं रेशन न्यायाधीश
6. श्री हरिशंकर गोयल - सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर
7. श्री ओंकार लाल दवे, अधिवक्ता (राजस्व मामलों के जानकार)
8. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी- सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर
9. श्री जगदीश प्रसाद माथुर अधिवक्ता (राजस्व मामलों के जानकार)
10. श्री रामनिवास जाट- सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर
11. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा अधिवक्ता (राजस्व मामलों के जानकार)
12. श्री श्रवण कुमार बुनकर सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. श्री जय कृष्ण पारीक अधिवक्ता (राजस्व मामलों के जानकार)
14. श्रीमती ज्योति पारीक - अधिवक्ता
15. श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर - अधिवक्ता
16. श्री सतबीर सिंह सिंदू- अधिवक्ता



सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अजमेर